@shahjahanpupol

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य 06/04/2021

हत्या कर एक्सीडेन्ट का रुप देने वाली घटना का थाना तिलहर पुलिस ने मात्र 23 घण्टे में किया खुलासा, हरियाणा से प्रेमी को बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से पति की हत्या करने वाली पत्नी व हत्यारा प्रेमी गिरफ्तार ।

दिनांक 03.04.2021 की रात्री लगभग 21.35 बजे राजनपुर रोड़ पर एक सेन्ट्रोकार के नीचे फंसे व्यक्ति के शव की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक तिलहर मय फोर्स मौके पर पहुँचे मौके की फोटो एवं वीड़ियो ग्राफी कराते हुए गाड़ी के नीचे फंसे शव को निकलवाया गया तथा भरसक प्रयास कर अज्ञात शव की शिनाख्त के प्रयास किये गये तो क्षेत्राधिकारी तिलहर की मौजदूगी मे अज्ञात शव की शिनाख्त धनपाल पुत्र हुलासीराम निवासी ग्राम रज्जाकपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर के रुप मे हुई मौके पर मृतक के परिजनो द्वारा किसी प्रकार की तहरीर अथवा किसी पर शक जाहिर नही किया गया पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा मौके पर गाड़ी मे मिले मोबाइल फोन, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक तथा अन्य सामग्री को गाड़ी सहित कब्जे मे लेकर जाँच प्रारम्भ की गयी। इसी बीच दिनांक 04.04.2021 को मृतक धनपाल के भाई परमजीत द्वारा थाना तिलहर पर मु0अ0स0 234/21 धारा 302 भादवि मृतक धनपाल के दोस्त मुकेश यादव निवासी खेंटावास थाना फरुखनगर जनपद गुडगांव के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना श्री हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक तिलहर द्वारा स्वंय ग्रहण की गयी तथा टीम घटित की गयी।

श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा उक्त संदिग्ध घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण एवं श्री हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक तिलहर के कुशल नेतृत्व मे टीम गठित करते हुए हत्या के अभियोग की गहनता से विवेचना करने हेतु कडे दिशा निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन मे विशेष रुचि लेकर किये गये कठिन परिश्रम से अभियोग मे नामित अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र कृष्ण कुमार निवासी खेंटावास थाना फरुखनगर जनपद गुडगांव हरियाणा को मृतक धनपाल की ससुराल ग्राम कसरक थाना कटरा क्षेत्र से दिनांक 05.04.2021 को समय 17.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया जिससे की गयी पूछताछ मे उसके द्वारा इकबाल जुर्म करते हुए बताया गया कि विगत एक वर्ष से उसका मृतक धनपाल की पत्नी से प्रेम प्रंसग चल रहा था, धनपाल उक्त दोनो के बीच रोडा बना हुआ था उसको योजनाबद्ध तरीके से दोनो ने मिलकर योजनाबद्ध तहत दिनांक 03.04.2021 को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गयी विवेचना से मृतक की पत्नी श्रीमती मधु का नाम प्रकाश मे आया तथा मुकदमे मे धारा 120B IPC की वृद्धि की गयी साक्ष्य के आधार पर दिनांक 06.04.2021 को प्रातः 07.00 बजे अभियुक्त श्रीमती मधु को ग्राम रज्जाकपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु रवाना किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ

अभियुक्त मुकेश यादव एवं अभियुक्ता श्रीमती मधु से की गयी पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि मृतक धनपाल पिछले लगभग 10 वर्षो से गुडगांव मे एक प्राईवेट कम्पनी मे नौकरी करता था उसकी पत्नी श्रीमती मधु बच्चो के साथ वही किराये के मकान मे रहती थी लगभग एक वर्ष पूर्व धनपाल ने अपने घर मे टी0वी0 केबल लगवाने हेतु केबल कर्मचारी को बुलवाया मुकेश यादव डी0टी0एच(केबल व्यवसाय) कर्मचारी है, जो धनपाल के घर केबल लगाने गया उसी समय मुकेश यादव की दोस्ती धनपाल की पत्नी श्रीमती मधु से हो गयी धनपाल प्रातः 7.30 बजे अपनी डियूटी पर चला जाता था तथा शाम को 7 -8 बजे आता था, इस बीच उसकी पत्नी फोन करके मुकेश यादव को घर बुला लेती थी मुकेश यादव जोकि वहाँ का लोकल रहने वाला था अपने घर से कभी दुध, दही, लस्सी, मठटा आदि लेकर धनपाल के घर चला जाता था इससे उनकी गहरी दोस्ती हो गयी। इस सब की आड़ मे मुकेश यादव एवं श्रीमती मधु का प्रेम परवान चढ़ गया इसकी भनक धनपाल को हुई तो उसने मुकेश यादव के घर आने पर आपत्ति करते हुए मुकेश को घर आने से रोक दिया तो धनपाल से छुपकर दोनो आपस मे मिलने लगे

इसी कारण से धनपाल के घर मे लड़ाई झगड़ा रहने लगा। मुकेश यादव की पत्नी भी उसे नजर अंदाज करती थी और मायके चली जाती थी इसलिए मुकेश यादव धनपाल की पत्नी से और अत्यधिक प्रभावित था और दोनो साथ रहने की जुगत मे लग गये। इसी कारण मुकेश यादव एवं मृतक की पत्नी ने धनपाल को बीच से हटाने की योजना बना डाली और दिनांक 03.04.2021 को उस योजना को अंजाम दे दिया गया। सड़क के किनारे मिट्टी कच्ची होने के कारण गाड़ी फंस गयी जिससे सारा भेद खुल गया अन्यथा गुड़गांव का रहने वाला मुकेश यादव हरियाणा नम्बर की उक्त सेन्ट्रो कार से धनपाल की हत्या करके गाड़ी लेकर भाग जाता तो हत्या की घटना को दुर्घटना का रुप देने मे दोनो सफल हो जाते और कभी पकड़े नही जाते।

गिरफ्तार किये गये अभिगण का विवरणः-

1- मुकेश यादव पुत्र कृष्ण कुमार यादव निवासी ग्राम खेटावांस थाना फरुखनगर जनपद गुडगांव हरियाणा।

2- श्रीमती मधु पत्नी धनपाल निवासी ग्राम रज्जाकपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0स0 234/2021 धारा 302/120B IPC थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी विवरणः-

1- 01 सैन्ट्रो कार रंग ग्रे नम्बर HR 26 AY 3992, 2- एक हथौडा, एक लोहे की चेन,

3- दो डिस्पोजल गिलास, 4- एक जोड़ी सैण्डल,

5- एक इन्जेक्सन सीरीज मय सुई, 6- दो मिर्चा पकोड़ी व चटनी,

7- एक अदद प्लास्टिक की 250 ML शीशी जिस पर ERASE लिखा है,

8- दो मोबाइल फोन सैमसंग, व एक मोबाइल फोन रीयलमी, 9- एक कम्पास,

9- एक निर्वाचन परिचय पत्र, 10- एक पेन कार्ड,

11- एक डेविड कार्ड 12- आधार कार्ड

13- एक बैंक पास बुक,

14- घटनास्थल से 350 रुपये व अभियुक्त की जामा तलाशी से 1640 रुपये कुल 1990 रुपये

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री अमित चौहान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 यतेन्द्र चौहान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
5. कारोहित सांगवान 2257 0 थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
6. कादीपक कुमार 2259 0 थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
7. मसीमा पाल 473 0का0 थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर